भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2778

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

2778. श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री नलिन सोरेन:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री जगदम्बिका पाल:
कैप्टन बृजेश चौटा:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री शंकर लालवानी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री हरीभाई पटेल:
श्री गोडम नागेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसकी पांच उप-योजनाओं–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफ़बीएस) और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा पात्र लाभार्थियों की सही पहचान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेंशन राशि बढ़ाने या कवरेज के विस्तार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने गरीबी कम करने, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए उक्त योजना के प्रभाव का आकलन किया है, जिसमें दक्षिण कन्नड़ जिले में किया गया जिला-स्तरीय आकलन भी शामिल है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या पर योजना-वार अधिकतम सीमा निर्धारित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत पिछले वर्ष और चालू वर्ष (31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान कर्नाटक सहित लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार और राज्य-वार अधिकतम सीमा तथा राज्य-वार जारी की गई निधि का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करता है और इसके पश्चात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को निधियां जारी करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा की जाती है। पात्र व्यक्तियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में स्थानीय निकायों की केंद्रीय भूमिका होती है। पात्रता मानदंडों के संदर्भ में नामित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा आवेदनों का सत्यापन किया जाता है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिए जाने से पूर्व आवेदकों की सूची पर ग्राम सभा/वार्ड सभा में चर्चा की जाती है।

(घ) वर्तमान में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत सहायता की कवरेज या दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं का प्रभाव आकलन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन और समीक्षा अध्ययन किए गए हैं। मूल्यांकन जमीनी स्तर पर संतोषजनक कार्यान्वयन को इंगित करते हैं, जिसमें अधिकांश लाभार्थियों ने पेंशन के चयन, स्वीकृति और संवितरण की प्रक्रियाओं पर समग्र संतोष व्यक्त किया है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। साथ ही, उन्होंने सहायता की पर्याप्तता में सुधार, समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, लाभार्थी सत्यापन और निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने जैसे उपायों के माध्यम से कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने की सिफारिश की है।

नीति आयोग द्वारा संचालित एनएसएपी सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन में यह पाया गया है कि एनएसएपी अपने वर्तमान स्वरूप में अत्यधिक प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि यह पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करके राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में योगदान देता है, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा (एसडीजी 1.3), असमानताओं को कम करना (एसडीजी10), और भुखमरी को समाप्त करना (एसडीजी2.1)।

*****

अनुबंध

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

एनएसएपी के तहत लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार और राज्य-वार सीमा

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएन-ओएपीएस	आईजीएन-डब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412	10906	54354
2	बिहार	3157256	635091	127100	35859	166600
3	छत्तीसगढ़	644429	203628	32085	12801	24196
4	गोवा	7308	5886	466	225	420
5	गुजरात	620548	276078	20327	10695	35377
6	हरियाणा	259865	70808	16583	4154	
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853	684	2644
8	झारखंड	985094	266077	26349	14148	54939
9	कर्नाटक	899422	452027	44825	18312	
10	केरल	458813	368358	19285	4358	36904
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470	30826	
12	महाराष्ट्र	1122920	80725	9322	34987	108000
13	ओडिशा	1418631	525045	90283	24697	64800
14	पंजाब	112955	19294	5982	2673	
15	राजस्थान	823972	315048	30513	12347	47500
16	तमिलनाडु	1282504	574258	64096	18445	66388
17	तेलंगाना	480315	180720	20578	7794	38846

18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773	73075	
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880	4808	
20	पश्चिम बंगाल	1281159	726172	59941	21553	65068
21	अरुणाचल प्रदेश	5893	288	112	346	1840
22	असम	695997	119955	34579	8524	25308
23	मणिपुर	55891	7075	1005	669	3320
24	मेघालय	55734	8024	1558	781	3580
25	मिजोरम	24524	2278	722	197	1000
26	नागालैंड	45941	3827	1011	535	2600
27	सिक्किम	16928	1469	457	175	960
28	त्रिपुरा	135232	17537	2131	984	5740
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	585	3	2	86	560
30	चंडीगढ़	2378	2486	100	80	440
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8754	2109	310	119	358
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	113824	36361	4635	2270	8040
33	जम्मू और कश्मीर	130298	7631	2465	323	10220

34	लद्दाख	6486	443	219	112	7260
35	लक्षद्वीप	155	87	51	9	60
36	पुदुचेरी	17713	9821	1271	283	1580
कुल योग		**22130687**	**6783469**	**833751**	**358840**	**831642**

पिछले वर्ष और चालू वर्ष (31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान एनएसएपी (अन्नपूर्णा योजना को छोड़कर) के तहत जारी राज्य-वार निधि

(रु. करोड़ में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26 (31.01.2026की स्थिति के अनुसार)**
1	आंध्र प्रदेश	354.49	273.10
2	बिहार	1390.68	691.80
3	छत्तीसगढ़	375.26	154.17
4	गोवा	0.00	0.00
5	गुजरात	207.55	85.51
6	हरियाणा	10.70	39.95
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	77.28
8	झारखंड	324.79	237.63
9	कर्नाटक	113.93	631.12
10	केरल	131.24	273.85
11	मध्य प्रदेश	889.77	553.75
12	महाराष्ट्र	534.13	0.00
13	ओडिशा	549.53	147.96
14	पंजाब	22.88	10.94
15	राजस्थान	608.67	148.93

16	तमिलनाडु	640.77	326.34
17	तेलंगाना	0.00	171.19
18	उत्तर प्रदेश	1947.38	813.48
19	उत्तराखंड	111.85	78.67
20	पश्चिम बंगाल	796.40	612.45
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
22	असम	319.19	96.98
23	मणिपुर	21.94	0.00
24	मेघालय	21.81	17.14
25	मिजोरम	14.01	2.00
26	नागालैंड	30.58	18.62
27	सिक्किम	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	56.13	44.07
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	117.83	13.48
33	जम्मू और कश्मीर	34.64	24.13
34	लद्दाख	5.74	1.49
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	0.00	0.00
	कुल योग	**9631.89**	**5546.02**

नोट: अन्नपूर्णा योजना मांग आधारित है। योजना के तहत कोई मांग नहीं थी।